भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 4464 /उ०ख०/भू०खनि०नि०/वि०निवि०परि०/2023–24, दिनांक 28 नवम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०ला०/ई०नी०/वि०का०ज्ञा०/भू०खनि०नि०/2023–24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 2748/BAG_007/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023–24, दिनांक 29.08.2023 के द्वारा जनपद बागेश्वर की तहसील बागेश्वर के ग्राम मोस्टागांव–1 गोमती नदी के क्षेत्रान्तर्गत गै०ज०वि०ख०खेत सं० 10 के खसरा नं० 17 रकवा 1.025 है० मध्ये 0.300 है० श्रेणी 10(1) की जलमग्न भूमि नदी के नाम पर दर्ज उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 8,100 टन एवं आधार मूल्य रू0 5,67,000.00 निर्धारित करते हुए नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है० से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में उक्त लॉट की तकनीकी निविदा दिनांक 17.10.2023 (मंगलबार) को खोली गयी, जिसमें ऑन लाईन कोई भी निविदा प्राप्त न होने तथा वित्तीय निविदा हेतु 03 सफल निविदाकार न होने के फलस्वरूप उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निदेशालय के आदेश संख्या संख्या 3933/उ0ख0/ भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 3964/BAG_007/भू०खनि०नि०/ई०नीला०/2023–24, दिनांक 01 नवम्बर, 2023 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 16.11.2023 (बृहस्पतिबार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी। निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 16.11.2023 (बृहस्पतिबार) के अनुसार जनपद बागेश्वर की तहसील बागेश्वर के ग्राम मोस्टागांव–1, गोमती नदी के क्षेत्रान्तर्गत गै०ज०वि०ख०खेत सं० 10 के खसरा नं० 17 रकवा 1.025 है० मध्ये 0.300 है० श्रेणी 10(1) की जलमग्न भूमि नदी के नाम पर दर्ज उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 16.11.2023 (बृहस्पतिबार) को खोली गयी तकनीकी निविदा में प्राप्त निविदाताओं का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1.	श्री तारा सिंह परिहार	अभिलेख पूर्ण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 20.11.2023 (सोमवार) समय पूर्वाह्न 4.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणााम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 का परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	श्री तारा सिंह परिहार	5,70,000.00	H1

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1,H2,H3 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H2 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत

Scanned with OKEN Scanner

के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार, निवासी उडलगांव, तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 5,70,000.00 (रू0 पांच लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 1,42,500.00 (रू0 एक लाख बयालीस हजार पांच सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 5,67,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 1,41,750.00 के सापेक्ष रू0 1,41,750.00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष आई.डी.बी.आई. बैक द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 7858143, दिनांक 16.09.2023, रू0 1,41,750.00 (रू0 एक लाख इकतालीस हजार सात सौ पचास मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 1,42,500 – 1,41,750.00 = 750.00) रू0 750.00 (रू0 सात सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार, निवासी उडलगांव, तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि रू0 750.00 (रू0 सात सौ पचास मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(हस्ताक्षर)
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 4464/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर।
4. एच–1 बोलीदाता श्री तारा सिंह परिहार पुत्र श्री गुमान सिंह परिहार, निवासी उडलगांव, तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर।

(हस्ताक्षर)
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner